

RTI / Speed Post

अवर सचिव  
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय  
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT  
नई दिल्ली / NEW DELHI - 110011  
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/32/2016-17

03 जून, 2016

सेवा में,

श्री राजेश दास,  
महादेव घाट पारा, शिव मंदिर वार्ड,  
जगदलपुर जिला बस्तर, छत्तीसगढ़।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

उपरोक्त विषय में कृपया अपने दिनांक 25 मई, 2016 के पत्र का संदर्भ ग्रहण करे जिसके साथ आपने दस रूपये का भारतीय गैर न्यायिक स्टॉप संलग्न कर सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन किया है जोकि मान्य नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु शुल्क बैंक चैक द्वारा/डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा या मनीआर्डर द्वारा डी.डी.ओ. या लेखा अधिकारी को भेजा जाता है, आपको सलाह दी जाती है कि आप उक्त तरीके में से किसी एक द्वारा फीस जमा कर सूचना हेतु आवेदन करें तदोपरांत यदि सूचना इस सचिवालय में उपलब्ध होगी तो आपको भेजी जायेगी। अतः आपका पत्र मूल रूप में वापस लौटाया जा रहा है।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
mahitab.singh@nic.in

o/c

अ/सचिव  
3/5/16

3  
स्टॉप क्लॉक = 13AA855418

RTI - 32/1



प्रति,

जन सूचना अधिकारी,  
महामहिम उपराष्ट्रपति कार्यालय  
नई दिल्ली

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रोफेसर नंदिनी सुंदर से जुड़ी निम्न जानकारी बाबत।

-00-

महोदय,

निवेदन है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान विभाग की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर ने विगत 12 मई 2016 से 16 मई 2016 तक बस्तर संभाग का दौरा किया था। जिस बात की पुष्टि उन्होंने स्वयं प्रेस को जारी विज्ञापित के माध्यम से किया है। न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों में भी तत्संबंधी खबरें प्रकाशित हुई थी तथा उनके दौरे से जुड़ी शिकायत भी ग्राम सौतनार, नामा एवं कुमाकोलेंग के ग्रामीणों ने पुलिस थाने में दर्ज करवाई हुई है। हमें इनके बस्तर प्रवास से जुड़ी निम्न जानकारी सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध करवायें।

1. 12 मई 2016 से 16 मई 2016 तक का नंदिनी सुंदर के प्रस्तावित बस्तर दौरा/कार्यक्रम की सत्यापित प्रति ।
2. यदि दौरा व्यक्तिगत रहा तो नंदिनी सुंदर द्वारा विश्वविद्यालय प्रबंधन से लिये गये अवकाश स्वीकृत आदेश/पत्र की सत्यापित प्रति ।
3. नंदिनी सुंदर द्वारा विश्वविद्यालय प्रबंधन से बस्तर प्रवास हेतु ली गई अनुमति आदेश/पत्र की सत्यापित प्रति ।
4. नंदिनी सुंदर के बस्तर प्रवास/दौरा का प्रयोजन आदेश/पत्र की सत्यापित प्रति ।

भवदीय

राजेश दास,

महादेव घाट पारा, शिव मंदिर वार्ड,  
जगदलपुर, जिला बस्तर,  
छत्तीसगढ़-494001.

सूचना के अधिकार का शुल्क रु. 10 का स्तंभ संलग्न।

स्तंभ संलग्न - 13AA855418



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

13AA 855418

लुचवा के अधिकार का आवेदन

प्रति

अब लुचवा अधिकारी  
महापदीम उप सहायक महोदय  
बड़ि दिल्ली

लुचवा के अधिकार

का शुल्क रु. 10 का त्वाप  
संलग्न।

दिनांक - 25/5/2016

  
आतक